अपोलिन डीसूजा

बनाम

जॉन डीसूजा

16 मई, 2007

[एसबी सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 धारा 276 और 63- प्रशासन अनुदान पत्र के निष्पादित वसीयतकर्ता अपने भतीजे और अन्य जो संबंधित नहीं थे, के पक्ष में संपत्ति की वसीयत करेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत का निष्पादन करते हुए हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया, वसीयत का उचित निष्पादन साबित नहीं हुआ। गवाही को प्रमाणित करने का साक्ष्य भी निष्पादित या प्रमाणित साबित नहीं हुआ। वसीयत के सत्यापन में अधिलेखन और कटिंग शामिल थे जो संदिग्ध परिस्थितियों के अस्तित्व को स्थापित करते थे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 68 को बरकरार रखा।

एफ ने अपीलार्थी के पक्ष में 23 सेंट भूमि की वसीयत करते हुए एक वसीयत निष्पादित की और प्रत्यर्थी के पक्ष में 16 सेंट। एफ की दो बेटियाँ थीं जो नन थीं। अपीलार्थी-वसीयत का लाभार्थी किसी भी तरह से एफ से संबंधित नहीं था। यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी अपने बुढ़ापे के दौरान वसीयतकर्ता की सेवा कर रही थी जिसके कारण उसे लाभार्थी बनाया गया था। अपीलार्थी ने उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 के तहत प्रशासन पत्र देने के लिए आवेदन दायर किया।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि एफ एक बूढ़ी औरत होने के नाते वसीयत के निष्पादन के समय इसकी सामग्री को समझने के लिए उचित मानसिक स्थिति में नहीं थी।

विचारण न्यायालय ने माना कि वसीयत का निष्पादन साबित हो गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

1.1. वसीयत के उचित निष्पादन के प्रमाण का तरीका और तरीका निर्विवाद रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह वसीयत के प्रस्तावक का काम है कि वह संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करे। [पैरा 20] [1112-एफ]

1.2. वसीयतनामा एक 96 वर्षीय महिला थी। वह एक के लिए पीड़ित थी लंबे समय तक। वह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वसीयत का मसौदा किसने तैयार किया था, यह दिखाने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। भले ही यह माना जाए कि अपीलार्थी का मसौदा तैयार करने या उसके पंजीकरण के संबंध में कोई लेना-देना नहीं था। वसीयत का मसौदा किसने तैयार किया था, यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है या जिनके कहने पर इसे पंजीकृत किया गया। [अनुच्छेद 8 और 9] [1107-जी; 1108-ए]

1.3. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 इस तरीके का प्रावधान करती है और जिस तरह से वसीयत का निष्पादन साबित किया जाना है। वसीयत के सत्यापन का प्रमाण एक अनिवार्य आवश्यकता है। प्रमाणन को साबित करने की कोशिश की जाती है पीडब्लू-केवल 2। पीडब्लू-2 प्रमाणक गवाह है। उन्हें वसीयत के निष्पादन की गवाह बनने के लिए बुलाया गया था। पीडब्लू-2 ने स्पष्ट रूप से कहा कि वसीयत का मसौदा वसीयत के निवास पर आने से पहले तैयार किया गया था और उसने वसीयत के निष्पादन के लिए केवल एक गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर साबित किए थे, लेकिन दस्तावेज़ एक हस्तलिखित था। मूल वसीयत कन्नड़ में टाइप की गई है, हालांकि रिक्त स्थान अंग्रेजी अक्षरों से भरे हुए थे। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वसीयत

की सामग्री को पढ़ा गया था और वसीयत को समझाया गया था। इसके दो दिन बाद वसीयत दर्ज की गई, जिस तारीख को उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा गया था। पी. डब्ल्यू.-2 वसीयतकर्ता को ज्ञात नहीं था। उसे क्यों बुलाया गया और वसीयत को प्रमाणित करने के लिए उसे किसने बुलाया, यह रहस्य में डूबा हुआ है। वसीयतनामा के मन की उचित संरचना के संबंध में उसका साक्ष्य बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। वसीयत में कई कटिंग और ओवरराइटिंग भी थी।

[पैरा 10 और 13] [1108-ए, एच; 1109-बी, सी]

1.4. वसीयतनामा की दोनों बेटियाँ नन थीं। इसलिए, नहीं। संपत्ति उनके पक्ष में वसीयत की जा सकती है। वास्तव में उनमें से एक की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। उत्तरदाता के साथ वसीयतनामा का संबंध स्वीकार्य रूप से बहुत था सौहार्दपूर्ण। अपीलार्थी यह साबित नहीं कर पाई है कि वह 1986 से वसीयतकर्ता के साथ रह रही थी और केवल उसी आधार पर उसे लाभार्थी बनाया गया था वहाँ से। वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से भरी हुई थी। [पैरा 13] [1109-ए]

नरेश चरण दास गुप्ता बनाम परेश चरण दास गुप्ता, [1954] एससीआर 1035, बी. वेंकटमुनि बनाम सी. जे. अयोध्या राम सिंह और अन्य, (2006) 11 स्केल एस. सी. सी. 515; एस. शंकरन बनाम डी. कौशल्या, (2007) 3 स्केल 186; बेंगा बेहरा और अन्य बनाम ब्रज किशोर नंदा और अन्य, 2003 का सी.ए. संख्या 3467 एस. सी. द्वारा 15.05.2007 पर निर्णय लिया गया; ब्रह्मादत तिवारी बनाम चौदन बीबी, ए.आई.आर. 1916 कलकत्ता 374 और रियाजुलनीसा बेगम, एम.वी. लाला पूरन चंद, आई.एल.आर. XIX लखनऊ 445 का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 4608/2003।

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के आईएसए संख्या 2570/1997 में दिनांक 12.2.2002 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से डॉ. एम. पी. राजू, पी. जॉर्ज गिरी और एस. पी. शर्मा।

प्रत्यर्थी के लिए सुवराज्योति गुप्ता (मीनाक्षी अरोड़ा की ओर से)।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

1. फ्लोरिन डिसूजा ने 06.05.1992 को या इसके आसपास एक वसीयत निष्पादित की। उनकी दो बेटियाँ ओलिविया और ओलंपिया थीं। ये दोनों नन बन गई थीं।पहली बेटी ओलिविया की 1975 में मृत्यु हो गई। दूसरी बेटी ओलंपिया की मृत्यु 27.09.1993 को हो गई।

2. यहां अपीलकर्ता वसीयत के लाभार्थियों में से एक थी। हालाँकि, वह किसी भी तरह से वसीयतकर्ता से संबंधित नहीं थी। वसीयतकर्ता निम्नलिखित संपत्तियों का मालिक थी जो उक्त वसीयत की विषय-वस्तु थी: "'ए'अनुसूची संपत्ति तलिपडी गांव, मैंगलोर तालुक, मुल्की सब-डिवीजन डीके में स्थित है, जिसमें निम्नलिखित विवरण हैं:

क्रमांक	एस. डी. संख्या	किस्म	एक्सटेंशन ए.सी.	मूल्यांकन
123	1ए1बी (पी)	गार्डन	0 - 16	रु. पैसे

सीमाएँ:

पूर्व: 'बी'अनुसूची को आवंटित संपत्ति समान उप-मंडल की है।

दक्षिण: एसवाई. संख्या 123/1ए1ए का भाग

पश्चिम: एसवाई. संख्या 123/1ए1ए का भाग

उत्तर: एसवाई लाइन

टाइल वाले घर नंबर 8-87 के साथ, सभी संपत्ति के साथ सभी संपत्ति और सुखभोग के अधिकार और साथ ही मेरी सभी चल संपत्ति भी।"

"'बी'अनुसूची'

... ...

थलीपाडी गांव, मुल्की एसडी मैंगलोर तालुक, डीके में संपत्ति की स्थिति निम्नलिखित विवरण देती है:

क्रमांक -	एस नं०	किस्म	एक्सटेंशन एसी	मूल्यांकन रु. पैसे
123	1ए1बी (पी)	उद्यान	0-23	
123-5		गार्डन	0-09	

सीमाएँ:

पूर्व: एसवाई. संख्या 123/5, 123/3, 123/1ए1बी का भाग

दक्षिण: एसवाई. संख्या 123/1ए1ए का भाग

पश्चिम: समान उप-विभाजन की 'ए' अनुसूची के लिए आवंटित संपत्ति

उत्तर : एसवाई. लाइन

एक टाइल वाले घर के साथ, लकड़ी सभी मामूल और सुखभोग अधिकार"

3. जबकि उक्त वसीयत से जुड़ी अनुसूची 'ए'में वर्णित संपत्ति अपीलकर्ता के पक्ष में वसीयत की गई थी, अनुसूची 'बी'में वर्णित संपत्ति प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत की गई थी। 13.03.1994 को फ्लोरिन की मृत्यु हो गई। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (संक्षेप में 'अधिनियम') कीधारा 276 के संदर्भ में संलग्न वसीयत की एक प्रति

के साथ प्रशासन पत्र प्रदान के लिए अपीलकर्ता द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। प्रतिवादी ने एक चेतावनी दर्ज की.

4. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा यह दलील दी गई थी कि वसीयतकर्ता एक वृद्ध महिला थी और वसीयत के कथित निष्पादन के समय वसीयत की सामग्री को समझने के लिए उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी।

5. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह कहते हुये वसीयत का निष्पादन साबित माना कि-

> "...परिस्थितियों से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी जो एक वृद्ध महिला थी। उस जमीन के एक हिस्से में अपना घर बनाया था जो वृद्ध महिला की थी। वसीयत के तहत प्रतिवादी को 23 सेंट जमीन दी गई थी और पुराने घर सहित 16 सेंट जमीन वादी जिसने वादी जिसने बुढापे के दौरान वृद्ध महिला की देखभाल की थी को दी गई थी। मुझे वृद्ध महिला द्वारा की गई वसीयत में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं लगता है। उसने प्रतिवादी को बड़ी मात्रा में जमीन दी है, जो कि वसीयतकर्ता की बहन का बेटा है को बड़ी मात्रा में जमीन दी गई थी। इससे पता चलता है कि उसके द्वारा दिया गया बयान साधारणतया मानवीय आचरण के अनुरूप था।"

यह माना गया कि चूँकि प्रस्तावक ने वसीयत के निष्पादन के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली, इसलिए कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ मौजूद नहीं थीं।

6. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के उक्त निष्कर्ष को यह कहते हुए उलट दिया,

i) कि मामले में परीक्षित किया गया एकमात्र निष्पादन का गवाह पीडब्लू-2 ने स्वीकार किया है कि उसने हस्तलिखित वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए थे, जबकि वसीयत वास्तव में कन्नड़ भाषा में टाइप की गई थी। अतः वसीयत का उचित निष्पादन सिद्ध नहीं हुआ।

ii) वसीयत में विभिन्न ओवरराइटिंग और कटिंग शामिल थी, जो संदिग्ध परिस्थितियों के अस्तित्व को स्थापित करती हैं।

iii) पीडब्लू-2 की साक्ष्य ना तो वसीयत के निष्पादन को तथा ना ही उसके सत्यापन को साबित करती हैं। पीडब्लू-2 के अनुसार उस पर फ्लोरिन डीसूजा द्वारा अंगूठा निशानी की गई है एवं पीडब्लू-2 की साक्ष्य में यह अंकित नहीं किया गया है कि पीडब्लू-2 पर जो अंगूठा निशानी फ्लोरिन डीसूजा द्वारा की गई है वह उसकी उपस्थिति में की गई है।

iv) प्रशासन पत्र प्रदान करने के लिये वसीयत के उचित निष्पादन और सत्यापन की आवश्यकताओं को मात्र इस आधार पर नहीं छोडा जायेगा कि वसीयत पंजीकृत थी।

7. हालाँकि, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. एमपी राजू ने तर्क दिया कि:

i) वसीयत के निष्पादन के प्रमाण को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि कानून की सभी पूर्ववर्ती आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था।

ii) जैसा कि यह साबित हो चुका है कि वादी-अपीलकर्ता 1986 से वसीयतकर्ता की सेवा कर रहा था, उक्त वसीयत पर जो कि उसके पक्ष में उसके द्वारा की गई है पर अविश्वास किये जाने का एेसा कोई आधार नहीं है।

8. वसीयतकर्ता एक 96 साल की महिला थी। वह काफी समय से बीमार थी।वह बिस्तर पर पड़ी थी। यह दिखाने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं लाई गई है कि वसीयत का मसौदा किसने तैयार किया था।

9. भले ही यह मान लिया जाए कि अपीलकर्ता का मसौदा तैयार करने या उसके पंजीकरण के संबंध में कोई लेना-देना नहीं है, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि वसीयत का मसौदा किसने तैयार किया था, या किसके कहने पर इसे पंजीकृत किया गया था।

10. पीडब्लू-2 सत्यापन करने वाला गवाह है। उसे वसीयत के निष्पादन का गवाह बनने के लिए बुलाया गया था। लगभग दिनांक 06.05.1992 को, जब वह वसीयतकर्ता के घर आई थी, उसके पहले ही वसीयत लिखी जा चुकी थी। उनके मुताबिक उनके आने के बाद ही वसीयतकर्ता ने उनकी बांये हाथ के अंगूठे की निशानी लगाई। इसके दो दिन बाद, वसीयत पंजीकृत की गई, जिस तारीख को भी उसे उपस्थित होने के लिए कहा गया।

11. उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वसीयत का निष्पादन कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ है।

12. वसीयत के निष्पादन के प्रमाण का तरीका क्या होना चाहिए, यह अधिनियम कीधारा 63 में निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित किया गया है:

"63. विशेषाधिकार रहित वसीयत का निष्पादन - प्रत्येक वसीयतकर्ता, जो किसी अभियान में नियोजित सैनिक नहीं है या वास्तविक युद्ध में लगा हुआ नहीं है, या इस प्रकार नियोजित या संलग्न वायुसैनिक नहीं है, या समुद्र में नाविक नहीं है, निम्नलिखित नियमों के अनुसार अपनी वसीयत निष्पादित करेगा:

(ए) वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना निशान लगाएगा, या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(बी) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या निशान, या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, इस प्रकार रखे जाएंगे कि यह प्रतीत हो कि इसका उद्देश्य वसीयत के रूप में लेखन को प्रभावी बनाना हो।

(सी) वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते देखा हो या वसीयत पर अपना निशान लगाया हो या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा होया वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिह्न, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की हो; और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह

उपस्थित हों, और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं होगा।"

13. धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 उस तरीके और तरीके का प्रावधान करता है जिसमें वसीयत के निष्पादन को साबित किया जाना है। वसीयत के सत्यापन का प्रमाण एक अनिवार्य आवश्यकता है। सत्यापन को केवल पीडब्लू-2 द्वारा साबित करने की मांग की गई है। वसीयतकर्ता की दोनों बेटियाँ नन थीं। इसलिए, कोई भी संपत्ति उनके पक्ष में नहीं दी जा सकती। दरअसल उनमें से एक की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी।माना जाता है कि प्रतिवादी के साथ वसीयतकर्ता का संबंध बहुत मधुर थे। हमारे सामने अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर पाई है कि वह 1986 से वसीयतकर्ता के साथ रह रही थी और केवल इसी आधार पर उसे इसका लाभार्थी बनाया गया था। वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से भरी थी।पीडब्लू-2 ने स्पष्ट रूप से कहा कि वसीयत उसके वसीयतकर्ता के निवास पर आने से पहले तैयार की गई थी और उसने वसीयत के निष्पादन के गवाह के रूप में केवल अपने हस्ताक्षर साबित किए थे, लेकिन दस्तावेज़ हस्तलिखित थे। मूल वसीयत कन्नड़ में टाइप की गई है, हालांकि रिक्त स्थान अंग्रेजी अक्षरों से भरे हुए थे। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वसीयत की सामग्री को वसीयतकर्ता को पढ़ा और समझाया गया था। पीडब्लू-2 को वह नहीं जानती थी। उसे क्यों बुलाया गया और वसीयत प्रमाणित करने के लिए किसने बुलाया, यह रहस्य में डूबा हुआ है। वसीयतकर्ता की उचित मानसिक स्थिति के संबंध में उसका साक्ष्य बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। वसीयत में कई कटिंग और ओवरराइटिंग भी थीं।

14. वसीयत के प्रमाण के लिए क्या आवश्यकता होगी, इस पर हाल ही में इस न्यायालय ने बी. वेंकटमुनि बनाम सीजे अयोध्या राम सिंह और अन्य में विचार किया है। [2006 (11) स्केल 149], बताते हुए:

"15. वसीयत का प्रमाण कड़ाई से उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार होगा।

16. हालाँकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन स्वयं पर्याप्त नहीं है जैसा कि इसके बाद की गई चर्चाओं से प्रतीत होता है।"

ऐसा देखा गया कि:

"20. एक बार फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 उस माध्यम और तरीके को बताती है जिसमें कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन के प्रमाण को सत्यापित किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि निष्पादन को कम से कम एक प्रमाणित गवाह द्वारा साबित किया जाना चाहिए, यदि कोई प्रमाणित गवाह जीवित हैऔर न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है और साक्ष्य देने में सक्षम है।"

आगे यह देखा गया कि:

"24. हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वसीयत एक पंजीकृत थी और प्रस्तावक ने जिम्मेदारी का निर्वहन किया था, यह माना गया कि ऐसी परिस्थितियों में, वसीयत का विरोध करने वाले प्रतियोगी पर पहली नजर में ऐसी सामग्री को रिकॉर्ड पर लाने की जिम्मेदारी आ जाती है ऐसी स्थिति में अदालत को सकारात्मक रूप से संतुष्ट करने की जिम्मेदारी प्रस्तावक पर वापस आ जाती है कि वसीयतकर्ता को वसीयत की सामग्री

अच्छी तरह से पता नहीं थी और उसने उसे सही ढंग से निष्पादित करने की क्षमता नहीं रखी।

25. हालाँकि, प्रत्येक मामले को उसमें प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

26. इस प्रकार, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच इस आधार पर आगे बढ़ने में पूरी तरह से गलत थी कि वसीयत के सबूत के संबंध में कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा और इसके निष्पादन के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियां बहुत महत्व की नहीं थी।

27. विद्वान जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बताई गई संदिग्ध परिस्थितियाँ अभिलेखों में साफ झलक रही थीं। डिवीजन बेंच द्वारा उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और किसी भी स्थिति में, डिवीजन बेंच को उक्त अदालत द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए था। इसने एक गलत कानूनी परीक्षण लागू किया और इस प्रकार, एक गलत निर्णय आया।"

15. एक बार फिर निरंजन उमेशचंद जोशी बनाम मृदुला ज्योति राव और अन्यमें । [2006 (14) स्केल 186], इस अदालत ने कहा:

"32. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 वह माध्यम और तरीका बताती है जिसमें एक अप्रतिबंधित वसीयत के निष्पादन को साबित किया जाना है। धारा 68 वह तरीका और तरीका बताता है जिसमें दस्तावेज़ के निष्पादन के प्रमाण को कानून द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है। इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वसीयत का निष्पादन कम से कम एक प्रमाणित गवाह द्वारा साबित किया जाना चाहिए, यदि प्रमाणित करने वाला गवाह अदालत की प्रक्रिया के अधीन जीवित है और साक्ष्य देने में

सक्षम है। वसीयत उस चीज़ को साबित करने के लिए होती है जिसे आम तौर पर प्राथमिक साक्ष्य कहा जाता है, सिवाय इसके कि जहां प्रमुख माध्यमिक साक्ष्य द्वारा सबूत की अनुमति दी जाती है। अन्य दस्तावेजों के विपरीत, अधिनियम के तहत किसी भी अन्य दस्तावेज के निष्पादन का प्रमाण धारा 68 के संदर्भ में पर्याप्त नहीं होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, निष्पादन को कम से कम प्रमाणित गवाहों में से एक द्वारा साबित किया जाना चाहिए। साक्ष्यांकन करते समय, साक्ष्यांकित गवाह की ओर से एक शत्रुतापूर्ण साक्ष्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि, उसे साक्ष्यांकित करने का इरादा होना चाहिए और इस बिंदु पर बाहरी साक्ष्य प्राप्य है।

33. यह साबित करने का भार कि वसीयत वैध रूप से निष्पादित की गई है और एक वास्तविक दस्तावेज है, प्रस्तावक पर है। प्रस्तावक को यह साबित करना भी आवश्यक है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं और उसने अपने हस्ताक्षर अपनी स्वतंत्र इच्छा से, स्वस्थ दिमाग से किए हैं और उसकी प्रकृति और प्रभाव को समझा है। यदि इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाया जाता है, तो प्रस्तावक का दायित्व समाप्त माना जा सकता है। लेकिन, यदि कोई मौजूद है तो पर्याप्त और ठोस सबूत पेश करके संदेह को दूर करने का दायित्व आवेदक पर होगा। वसीयत के प्रमाण के मामले में, केवल वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर उसके निष्पादन को साबित नहीं करेगा, यदि उसका दिमाग बहुत कमजोर और दुर्बल प्रतीत हो सकता है। हालाँकि, यदि धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव का बचाव किया जाता है, बोझ कैविएटर पर होगा. [मधुकर डी. शेंडे बनाम ताराबाई शेडेज (2002) 2 एससीसी 85 और श्रीदेवी एवं अन्य देखें। वी. जयराजा शेटटी और अन्य। (2005) 8 एससीसी 784]। उपरोक्त के अधीन, वसीयत का प्रमाण आम तौर पर किसी अन्य दस्तावेज़ को साबित करने से भिन्न नहीं होता है।"

बी वेंकटमुनि (सुप्रा) को ध्यान में रखते हुए, यह देखा गया कि:

"36. वसीयत के प्रमाण की आवश्यकता दस्तावेज़ को पढ़ने के आधार के रूप में नहीं, बल्कि न्यायाधीश को इसके वास्तविक होने का उचित आश्वासन देने के लिए होती है।

37. हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि वहाँ एक अंतर मौजूद है जहाँ संदेह अच्छी तरह से स्थापित होते हैं और ऐसे मामले जहाँ केवल संदेह होते हैं। केवल संदिग्ध परिस्थितियों का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं हो सकता है। अदालत को संदेह के साथ शुरुआत नहीं करनी चाहिए और उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए अपना दिमाग बंद नहीं करना चाहिए। यहां तक कि गंभीर संदेह की परिस्थितियां मौजूद होने पर भी न्यायाधीश से दृढ़ और अभेद्य अविश्वास की मांग की जाती है। [वेंकटचला अयंगर (सुप्रा) देखें]"

[एलआर द्वारा जोसेफ एंटनी लाजर (मृत) को भी देखें। बनाम ए जे फ्रांसिस, (2006) 9 एससीसी 515]।

16. एस. शंकरन बनाम डी. कौशल्या[2007 (3) स्केल 186] में, यह कहा गया था:

"6. उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 25.5.1996 द्वारा माना कि दिनांक 24.9.1986 की वसीयत वास्तविक थी और जाली नहीं थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जैसे कि वसीयतकर्ता ने स्वयं प्रस्तुत किया था निष्पादन के लिए वसीयत, और वसीयतकर्ता और उसकी बड़ी बेटी के बीच विवाद था और इसलिए वह अपनी संपत्ति अपनी दूसरी बेटी और उससे पैदा हुए बेटों आदि को देना चाहता था।

7. अपील में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उनके द्वारा अपने निर्णय में विस्तृत रूप से प्रकरण के विभिन्न तथ्य एवं परिस्थितियों को उचित विचार में लिये बिना निरस्त कर दिया।

8. डिवीजन बेंच स्पष्ट रूप से इस तथ्य से प्रभावित थी कि बड़ी बेटी को उसके पिता की संपत्ति में उसके हिस्से से वंचित कर दिया गया था। हालाँकि, डिवीजन बेंच ने विभिन्न विचारों पर विचार नहीं किया है, जो विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार वसीयतकर्ता को अपनी बड़ी बेटी, प्रतिवादी को वंचित करने के लिए प्रेरित करते हैं। " [बेंगा बेहराऔर बन्य बनाम ब्रज किशोर नंदा और अन्य भी देखें । सीए 2003 का क्रमांक 3467 - 15.05.2007 को निस्तारित]

17. ब्रह्मदत तिवारी बनाम चौदान बीबी [एआईआर 1916 कलकत्ता 374] और रियाजुलनिसा बेगम, एमएसटी बनाम लाला पूरन चंद [आईएलआर XIX लखनऊ 445] पर डॉ. राजू द्वारा रखा गया भरोसा गलत है।

18. वसीयत के निष्पादन को साबित करने की आवश्यकताएं केवल वर्ष 1925 के अधिनियम कीधारा 63 के तहत निर्धारित की गईं। तब से कानून में बदलाव आया है। किसी भी स्थिति में, यह न्यायालय इस न्यायालय के निर्णयों से बंधा हुआ है।

19.नरेश चरण दास गुप्ता बनाम परेश चरण दास गुप्ता [1954 एससीआर 1035] में, जिस पर फिर से भरोसा रखा गया है, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि:

"यह कानून के एक मामले के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि गवाहों ने मुख्य परीक्षा में यह नहीं बताया कि उन्होंने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे, कोई उचित सत्यापन नहीं था। यह उत्पन्न परिस्थितियों पर निर्भर करेगा साक्ष्य कि क्या प्रमाणित करने वाले गवाहों ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। यह साक्ष्य की सराहना के आधार पर

तथ्य का एक शुद्ध प्रश्न है। नीचे दिए गए न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वसीयत विधिवत स्वीकृत होकर सत्यापित थी, सभी सामग्रियों पर विचार करने पर आधारित है।

20. उक्त निर्णय का अनुपात अपीलकर्ता की सहायता नहीं करता है, क्योंकि वसीयत के उचित निष्पादन के सबूत का तरीका और तरीका निर्विवाद रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करना वसीयत के प्रस्तावक का काम है, जो इस मामले में नहीं किया गया है।

21. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई आधार नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

एन.जे. याचिका खारिज कर दी गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी मनेन्द्र शर्मा (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।